अब देश में एचआईवी एड्स से प्रभावित चार बच्चे हर घंटे में जन्म ले रहे है और अगले पांच वर्ष में अस्पतालो में भर्ती बच्चो में से दस प्रतिशत एचआई एड्स से प्रभावित होंगे । देश की गर्भवती महिलओं में एचआईवी इन्फैक्शन बढ़ रहा है । देश में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत गर्भवतियों के एचआईवी से संक्रमित होने का अनुमान है। इस हिसाब से देश में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले ढ़ाई करोड़ बच्चो मे से सवा लाख बच्चो को एचआईवी संक्रमित मातायें जन्म दे रही है । एचआईवी संक्रमित लगभग 25 प्रतिशत माताओं से एड्स का वायरस शिशुओ को पहुंचाता है । मां एचआईवी संक्रमित हो तो स्तनपान के जरिए वायरस के शिशु में पहुंचने की लगभग 25 प्रतिशत आशंका रहती है । मेरे विचार से एचआईवी एड्स जैसी भयंकर बीमारी शिशुओं में न हो , इसके लिए सरकार को कोई ठोस व प्रभावी कदम उठाना चाहिए ।

अत: मेरा माननीय स्वास्थ मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि शिशुओं को एचआईवी एड्स से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की कृपा करे ताकि बच्चो को एचआईवी एड्स से छुटकारा मिल सके और देश में स्वस्थ बच्चे जन्म ले ताकि राष्ट्र में स्वस्थ नागरिको की संख्या में वृध्दि हो सके और राष्ट्र उत्तरोत्तर विकास कर सके । धन्यवाद ।

SHRIMATI SHABANA AZMI (Nominated): Sir, I associate myself with the Special Mention.

MISS MABEL REBELLO (Madhya Pradesh): I also associate myself with it, Sir.

Prevention of exploitation of minors

डा. प्रभा ठाकुर (**राजस्थान**) : सभापति महोदय, मै आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान बालक और बालिकाओ के एक ऐसे व्यापक शोषण की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जिस तरफ ध्यान दिया जाना आज बहुत आवश्यक है । बाल श्रमिको के रूप में तो इस देश के हजारो बच्चो के शोषण क मुद्दा अनेक बार उठाया गया है, पर इसके अतिरिक्त मै देश के उन हजारो लाखो बच्चो को शोषण से बचाने के लिए सदन में अपील कर रही हूं कि जो मासूम बच्चे भीख मांगने के लिए विवश किए जाते है तथा अनेक गोद के दुधमुंहे बच्चो को भी भयंकर गर्मी या सर्दी में भी ख के लिए भिखारी स्त्री-पुरूषो द्वारा बेरहमी से इस्तेमाल किया जाता है । यह नजारा हम सड़कों से आते-जाते है । बड़ा ही ह्रदय विदारक वह दृश्य होता है । इन बच्चो को कृपया शोषण से बचाए जाने के लिए मैं अपील करती हूं कि कोई प्रभावी कदम उठाया जाना चाहिए । बच्चो को लेकर भी कर्ज मांगने या उनसे भीख मंगवाने को एक धंधे के रूप में चलाने के पीछे भी इस देश में अनेक गिरोह सक्रिय बताये जाते है । ये बच्चे भी इसी देश की संतान है । बच्चो के भीख मांगने य अबोध बच्चो को भीख के लिए इस्तेमाल किए जाने पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि उन हजारों बच्चो को अपरहण करके य उन्हे अपाहिज बना कर भीख मंगवाने वाले गिरोह की प्रवृति पर अंकुश लग सके तथा भीख के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बेजुबान बच्चो को इस भयानक शोषण से मुक्ति मिल सके ।

ये बच्चे जो देश के अच्छे नागरिक बन कर राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते है ये इस रास्ते पर चल कर आगे अपराध का रास्ता चुन लेते है और समाज निर्माण के बजाय समाज कंटक बन जाते है । मेरा सुझाव यही है कि इन निरीह बच्चो का इस्तेमाल करने वालो को कड़ी सजा दी जाए और भीख मांगने को विवश करने वालो को बाल सुधार गृह भेजा जाए ।

MR. CHAIRMAN: Your text is over.

डा. प्रभा ठाकुर : मै अंत में सि र्फ एक शेर पढ़ना चाहती हूं ;

"घर से मंदिर है बहुत दूर चलो यूं कर लें,
किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए ।"

इन बच्चो को हंसाने के लिए कुछ किया जाए । धन्यवाद ।

SHRI PREM CHAND GUPTA (Bihar): Mr. Chairman, I associate myself with her.

MISS MABEL REBELLO (Madhya Pradesh): I also associate myself with her, Sir.

MR. CHAIRMAN: Shri Aimaduddin Ahmed Khan. Absent. Shri Balwant Singh Ramoowalia. Absent. Miss Mabel Rebello.

Child Trafficking in India

MISS MABEL REBELLO (Madhya Pradesh): Sir, my Special Mention relates to the problem of child trafficking. Of late, it is on the increase. It is estimated that there are four lakh child traffickers in the country.

Sexual exploitation, illegal activities, child labour, entertainment and sports, adoption and marriage are the major purposes of child trafficking in India. It is observed that a large number of child prostitutes from countries like Nepal and Bangladesh reach the cities through cross border child trafficking. Almost 15 per cent of the total child prostitutes enter the profession before the age of fifteen years, and 25 per cent, between fifteen and eighteen years. The incidence of child prostitution through abduction is estimated to be 40 per cent. Among them, around 60 per cent belong to SC/STs, backward communities and other poor segments of the society.